

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर (म.प्र.)

// सशोधित आदेश //

क्रमांक/ ज्यू-15/ सीजेएम / 2021

जबलपुर, दिनांक- 23.05.2021

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर म.प्र. के आदेश क्रमांक-85/कोरोना/दो-12-11/20 जबलपुर दिनांक- 23.05.2021 के आलोक में आदेशित किया जाता है कि निम्नलिखित दिनांक पर निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अत्यावश्यक मामलों में सुनवाई करने हेतु अपने स्टाफ सहित 11.00 बजे से 02.00 बजे (मध्याह्न अवकाश 02.00 बजे से 02.30 बजे तक) एवं दोपहर 02.30 बजे से 05.00 बजे तक स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होकर सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों के अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे एवं आदेशानुसार वीडियो कान्फेरिंग के माध्यम से कार्यवाही संपादित की जाये।

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, जे.एम.एफ.सी. श्रीमती साहगी दुग्गल, जे.एम.एफ.सी.	24.05.2021
2	श्री अरविंद सिंह, जे.एम.एफ.सी. श्रीमती प्रेरणा जैन, जे.एम.एफ.सी.	25.05.2021
3	श्री आशुतोष अग्निहोत्री, जे.एम.एफ.सी. सुश्री अजली शाह, जे.एम.एफ.सी.	27.05.2021
4	सुश्री वदना सोनी, जे.एम.एफ.सी. श्रीमती किरण मलिक, जे.एम.एफ.सी.	28.05.2021
5	श्रीमती नीलिमा देवदत्त, जे.एम.एफ.सी. श्रीमती नुरुननिशा असारि, जे.एम.एफ.सी.	29.05.2021
6	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त, जे.एम.एफ.सी. श्रीमती मोना शुक्ला पांडे, जे.एम.एफ.सी.	31.05.2021

उक्त नियत दिनांक को कार्यविभाजन पत्रक अनुसार जिला मुख्यालय जबलपुर में प्रस्तुत होने वाले धारा 164 द.प्र.स. के मामलों में श्रीमती साहगी दुग्गल, श्रीमती प्रेरणा जैन, सुश्री अजली शाह, श्रीमती किरण मलिक, श्रीमती नुरुननिशा असारि, श्रीमती मोना शुक्ला पांडे, जे.एम.एफ.सी. द्वारा (उनके स्वयं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्रों को छोड़कर) धारा 164 द.प्र.स. के कथन लेखबद्ध किये जायेंगे तथा अत्यावश्यक अभियोग पत्रों के संबंध में एवं माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सत्र न्यायालय द्वारा पारित जमानत आदेशों में जमानत तस्दीक के संबंध में उनका द्वारा कार्यवाही की जावेगी तथा

auw
23.5.21

1/2/1

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के संबंध में रिमांड कार्यवाही उनके द्वारा निष्पादित की जावेगी एवं ऐसे अत्यावश्यक मामलों में भी उनके द्वारा सुनवाई की जायेगी जो सुनवाई हेतु उन्हें भेजे जायेंगे। शेष अत्यावश्यक मामलों में उक्त दिनांक को डियूटी करने वाले अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

सिहोरा न्यायालय

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्रीमती मृणालिनी, जे.एम.एफ.सी.	24 05 21 25 05 21
2	श्रीमती सविता ठाकुर, जे.एम.एफ.सी.	27 05 21 29 05 2021 28 05 21 31 05 2021

पाटन न्यायालय

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्री आदिल अहमद खान, जे.एम.एफ.सी.	24 05 21 28 05 21 25 05 21 29 05 21 27 05 21 31 05 21

(वरुण पुनासे)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर।

प्रतिलिपि -

- 1 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2 श्री जे.एम.एफ.सी. जबलपुर / पाटन / सिहोरा।
- 3 अध्यक्ष / सचिव जिला अधिवक्ता सघ जबलपुर एवं जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर।
- 4 जिला नाजिर जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- 5 जूनियर सिस्टम एंनलिसिस जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(वरुण पुनासे)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर